



NTE
470

395
500

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671309

(03) कोषागार

01 MAY 2007

रु. 5000



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार :-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना :-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम :-	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर):-	खसरा नम्बर 60
मापन की इकाई :-	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	0.1450 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :-	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि

रईश

रईश



रईश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671310



-2-

पेडों का मूल्यांकन:- नही है
 घोरिंग/कुआ/अन्य:- नही है
 सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:- नही है
 प्रतिफल की धनराशि:- 1,82,000/-रुपये
 मालियत:- 1,81,250/-रुपये
 निर्धारित दर:- 12,50,000/-रुपये प्रति है0
 स्टाम्प शुल्क:- 18,200/-रुपये
 किस्म जमीन:- अव्वल आबी
 विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।
 विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नही है।

प्रथम पक्ष की संख्या (2)

विक्रेता का विवरण

1- रईस पुत्र स्व0 श्री मौहम्मद अली निवासी ग्राम शेरनगर परगना
 व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती

२३२२



[Handwritten signature]

2 स्टाम्प दि 8-5-07
स्टाम्प की 5000/-
शामिल नम्बर किया गया।

अमित कुमार मंग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
सावित्री नं० 254
सावित्री की ब्रांच 31-3-2012

अमित कुमार मंग
स्टाम्प विक्रेता ASB
तह०-मुजफ्फरनगर

182,000.00/ 182,000.00

3,640.00

2/

3,660.00

\$00

फोन रजिस्ट्री

नकल व प्रति 200/-

दोष

अष्ट संख्या

प्रतिफल मालिकता

श्री/श्रीमती रईस

पुत्र/पत्नी श्री श्री0 अली

पेशा कृषि

निवासी शेरनगर मु0 नगर

अस्थायी वता

मे यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 8/5/2007

समय 2:58PM

कने निवन्धन हेतु पेश किया।

रईस



अशोक फटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम),
मुजफ्फरनगर
8/5/2007

निम्नांकित लेखपत्र याद मुने व समक्ष में मजबूत व प्राप्ति धनगोशि रु-पलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती रईस

पुत्र/पत्नी श्री श्री0 अली

पेशा कृषि

निवासी शेरनगर मु0 नगर



श्री/श्रीमती श्रीमती श्रीमती कन्सटेशन मु0 नगर द्वारा

पार्टनर रूपेश कुमार

पुत्र/पत्नी श्री मन्ता राम अग्रवाल

पेशा व्यापार

निवासी 200 आर.डी. कुंज कालोनी रोहिणी देहली



श्री/श्रीमती तहसीना स्वयं

प्रतिनिधि श्री नदीम, गुलमीर, नईम

पुत्र/पत्नी श्री श्री0 अली

पेशा गृहिणी



रईस

तहसीना

रूपेश कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

671311

01 MAY 2007

-3-

2- श्रीमति तहसीना पत्नी स्व० श्री मौहम्मद अली (बजात खुद व वली व संरक्षिका व माता नदीम व गुलमीर व नईम अख्यस्क आयु 17 व 15 व 11 वर्ष पुत्र स्व० श्री मौहम्मद अली) निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1:- श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली व्यवसाय:- व्यापार

हम कि रईस पुत्र स्व० श्री मौहम्मद अली व श्रीमति तहसीना पत्नी स्व० श्री मौहम्मद अली (बजात खुद व वली व संरक्षिका व माता

रईस

श्री तहसीना



[Handwritten signature]

3 स्टाम्प दिनांक 8-5-07
स्टाम्प की 5000/-
सामिल नम्बर 1 किया गया।

अमित कुमार वर्मा (विप्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
साईसिस्ट नं० 254
साईसिस्ट की अवधि 31-3-2012

अमित कुमार वर्मा
स्टाम्प विप्रेता ARB
तह०-मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिसकी पहचान की रियासत
पुत्र की शरीफ
पेना कृषि
निवासी शेरनगर मु० नगर
व की मी० अकबर
पुत्र की मी० अशरफ
पेना कृषि
निवासी शेरनगर मु० नगर
ने की।

प्रत्यक्ष भद्र सदस्यों के विधान अंगुठे निम्नानुसार लिखे गये हैं।

8/5/07



अशोक कटारिया
उपनिष्पन्नक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
8/5/2007

रियासत

मी० अकबर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 934967

08 MAY 2007

मुजफ्फरनगर

-4-

नबीम व गुलमीर व नईम अव्यस्क आयु 17 व 15 व 11 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मौहम्मद अली) निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोडा कुंज कालांनी रोहिणी देहली द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई پاک व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियो की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन

रईश

रईश

रईश



10..... 3250/-
 टावर करीदार का नाम श्री 377 मेलागर मु. नगर
 पुष श्री निवासी
 दिनांक 8-5-07
 कृते खरिद कोषाधिकारी
 कोषागार, मुजफ्फरनगर
 1000x3 = 3000
 100x2 = 200
 3200

विक्रेता

Registration No.: 4850

Year: 2007

Book No.:

1

0101 रईस

मौ० अली

शेरनगर मु० नगर

कृषि

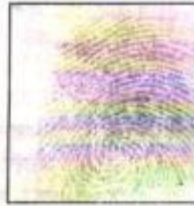


0102 लहसीना स्वयं प्रतिनिधि नदीम, मुलमीर, नईम

मौ० अली

शेरनगर मु० नगर

गृहिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 934968

08 MAY 2007

-5-

मुजफ्फरनगर

एक लाख बैयास्सी हजार रुपये (1,82,000/- रुपये) निस्फ जिसके अंकन इक्कीयानवे हजार रुपये (91,000/- रुपये) होते हैं बद्दस्त श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार मित्तल पुत्र श्री मायाराम अग्रवाल निवासी 200, अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य दो किते बैंक नम्बरी 310254 व 310255 विजया बैंक मुजफ्फरनगर दिनांक 08-05-2007ई0 प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौक़े पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौक़े पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी

रईस

अबुलक़ासिम

Rupesh



⑥ 3200/-
दिनांक 8-5-07
रजिस्ट्रार/कलर रोहित
कोटागार, बल्लभपुर

केरा

Registration No. : 4850

Year : 2007

Book No. : 1

0201 श्रीबालाजी कन्सल्टेशन मु0 नगर द्वारा पार्टनर रूपेश कुमार
माया राम अग्रवाल
200 अग्रोहा कुंज कालोनी रोहिणी देहली
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 934969



-6-

से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 5720/-रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 1,82,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी

२३२५

मुजफ्फर

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 341724

-7-

कीमत इससे अधिक नहीं है विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 1,81,250/- रुपये होती है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निर्बन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबई 0.1450 है, लगान सालाना 7-15

रईस

अमृतसिंह

अमृतसिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 341725

-8-

रुपये किस्म जमीन जंगल अखिल आबी, मय जुमला हक व हकूक
हर किस्म।

र. र. र.

तहसील

[Signature]



साक्षी
रिजिस्ट्रार

साक्षी
श्री. उमेश
श्री. उमेश
श्री. उमेश

रिजिस्ट्रार
श्री. रिजिस्ट्रार
श्री. रिजिस्ट्रार

तहसील ता. 08-05-2007 ई०
डाफ्त कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

376

आज दिनांक 08/05/2007 को

वही सं 1 जिल्द सं 3514

पृष्ठ सं 357 से 376 पर कमांक 4850

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

8/5/2007